

3

# समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या-03/2023-24

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

-बनाम्-

महेन्द्र यादव

-::आदेश::-

09.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी-सह-अध्याचना पदाधिकारी, बोकारो के अध्याचना सं०-17/2023, दिनांक-11.04.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि कसमार थाना कांड सं०-16/2022, दिनांक-28.12.2022, के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर वाहन रजि० नं०-JH09AK-2286 एवं ट्रेलर रजि० नं०-JH09AN-3847 उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू, वाहन मालिक श्री महेन्द्र यादव पिता राम लखन यादव, सा०+पो०- खेतको, थाना पेटरवार, जिला बोकारो के विरुद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रश्नगत वाहन एवं बालू को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनकी ओर से दाखिल कारण-पृच्छा का अवलोकन किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि जप्त वाहन पर राजसात् करने के लिए की गई कार्यवाही बिल्कुल ही तथ्यों से परे, गैर कानूनी एवं पोषणीय नहीं है। विपक्षी को गलत तरीके से इस मुकदमें में फँसाया गया है। उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वादी के द्वारा छापेमारी के दौरान दस्तावेज के बिना पुष्टि के ही प्रश्नगत वाहन को जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा न तो कभी भी अवैध रूप से बालू का परिवहन किया गया है। बिना किसी साक्ष्य के ही उन पर वाद दायर किया गया है। विपक्षी शिक्षित बेरोजगार है और प्रश्नगत वाहन को बैंक से ऋण लेकर कृषि कार्य हेतु खरीदा गया है, जो उनके आय का एकमात्र साधन है। विपक्षी के पास वाहन से संबंधित सभी वैध कागजात मौजूद है।

अनुसंधानकर्ता के द्वारा जप्त वाहन के संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन माननीय न्यायालय अपर न्यायिक मुख्य दण्डाधिकारी, बेरमों (तेनुघाट) को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अनुसंधानकर्ता के द्वारा वाहन को विमुक्त करने के संबंध में कोई भी आपत्ति नहीं की गई है। उक्त के आलोक में माननीय न्यायालय अपर न्यायिक मुख्य दण्डाधिकारी, बेरमों (तेनुघाट) के द्वारा क्रमशः दिनांक-30.08.2022 को आदेश पारित कर प्रश्नगत वाहन को (बालु छोड़कर) सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

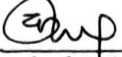
उपरोक्त तथ्यों यथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का दलील, दाखिल कारण-पृच्छा एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से अधिहरण की कार्यवाही हेतु वाद दायर करने के पूर्व ही, कसमार थाना कांड सं०-16/2022, दिनांक-28.12.2022 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर वाहन रजि० नं०-JH09AK-2286 एवं ट्रेलर रजि० नं०-JH09AN-3847 (वाहन पर लदे करीब 100 घनफीट बालु को छोड़कर) माननीय न्यायालय अपर न्यायिक मुख्य दण्डाधिकारी, बेरमों (तेनुघाट) के द्वारा न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। जप्त बालु के संदर्भ में अब तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

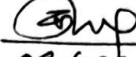
वर्णित परिस्थिति में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-17/2023, दिनांक-11.04.2023 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए कसमार थाना कांड सं०-16/2022, दिनांक-28.12.2022, के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर वाहन रजि० नं०-JH09AK-2286 एवं ट्रेलर रजि० नं०-JH09AN-3847 को छोड़कर उस पर लदे करीब 100 घनफीट बालु को राज्य सरकार के हित में राजसात किया जाता है एवं जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया



जाता है कि प्रश्नगत बालु को निलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि नजारत अथवा उचित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
09.6.23  
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।

  
09.6.23  
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
बोकारो।